न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या **005/2024(गौवंश)** **(GCMS 2024/140)**	दायर दिनांक **12.07.2024**	निर्णय दिनांक **25.02.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

विक्रम पिता चन्द्र बंजारा जाति बंजारा उम्र 30 वर्ष निवासी नवादा थाना उन्हेल जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)।

विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6‘क’ राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2023 दिनांक 29.12.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 एवं अन्तर्गत धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में जब्तशुदा वाहन **MP 13 GB 1823** के निस्तारण बाबत् अधिनियम 1955 की धारा 6 ‘क’ के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 24.07.2024 को विपक्षी की और उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब से पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2023 दिनांक 29.12.2023 में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 13 GB 1823** के संबंध में प्रार्थी विक्रम पिता चन्दर जाति बंजारा निवासी नवादा तहसील नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451-457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 031/2024 (रे.वि.) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित हैं। प्रार्थी द्वारा अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत वाहन स्वामी है तथा पुलिस थाना गंगरार में वजह सबूत अपनी तहवील में ले रखा है, जिसका प्रार्थी एक मात्र अधिकृत वाहन स्वामी है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस थाना गंगरार को कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन की मासिक किश्ते प्रार्थी को उक्त वाहन से ही कमा कर अदा करनी होती है, यदि वाहन समय रहते नहीं छुटा तो प्रार्थीया को अकथनीय आर्थिक क्षति होगी तथा प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा उस पर परिवार की जिम्मेदारिया है एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थीया को जब्तशुदा वाहन को सिपुर्दगीनामें व जमानतनामा पर सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 जा0फौ0 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर पुलिस थाना थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/3699 दिनांक 16.12.2024 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया हैं जो कि प्रकरण संख्या 031/2024 (रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में जुर्म राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम, 1955 में अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट संख्या 7 दिनांक 21.01.2024 कता की गई है। वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2023 दिनांक 29.12.2023 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी (प्रार्थना–पत्र 031/2024 (रे.वि.) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का अधिकृत स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सिपुर्दगी प्रार्थी को दी जावें। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश का परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या **MP 13 GB 1823** जिसके इंजन नंबर **TNL4M80789** चेचीस नंबर **MA1ZN2TNKM5A11377** के आवश्यक दस्तावेज होने रिलीज करने का कृपा करावें। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(क) की उप–धारा (2) के तहत प्रवहण के साधन के स्वामी को जुर्माने का संदाय करने का विकल्प फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की द्वारा बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन में 04 गौवंश(बैल) पीडादायक स्थिति में चारो पैरों सहित बंधे हुये पाये गये। परिवहन के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है। इसी कारण से अपराध धारा 3, 5 व 8 राजस्थान गौवंशीय पुश अधिनियम, 1955 के अर्न्तगत होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी मौखिक बहस में उक्त तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि गौवंश(बैल) कृषि कार्य हेतु परिवहन किया जा रहा था, एवं गौवंश(बैल) के साथ में किसी भी प्रकार से कोई निर्दयता नहीं की गई है तथा बैल पूरी तरह से स्वस्थ है जिसकी पुष्टि गौवंश की मेडीकल रिपोर्ट से होती है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से कुल 02 गौवंश(बैल) बरामद किये गये है। परिवहन के संबंध में अभियुक्त के पास किसी भी प्रकार से कोई वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं अनुसंधान हेतु वाहन की आवश्यकता नहीं है। संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 6(क) की उप–धारा (2) में प्रावधित किया गया है कि अधिहरण का आदेश करने से पूर्व उप–धारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। प्रकरण संख्या 031/2024 (रै0वि0) में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी संजू पिता चन्दर बंजारा वाहन का अधिकृत स्वामी है। इस बाबत् वाहन संख्या **MP 13 GB 1823** जिसके इंजन नंबर **TNL4M80789** चेचीस नंबर **MA1ZN2TNKM5A11377** के अधिकृत/पंजीकृत स्वामी विक्रम बंजारा पिता चन्दर बंजारा निवासी नवादा तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा जरिये दस्तावेज मुख्त्यारनाामा दिनांक 17.05.2022 किया गया है। उक्त मुख्त्यारनाामा की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके की प्रवहरण के साधन के अधीन उक्त वाहन के संबंध में इस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना रिपोर्ट संख्या 326/2023 दिनांक 29.12.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना–पत्र 031/2024 (रे.वि.) के प्रार्थी संजू पिता चन्दर जाति बंजारा निवासी नवादा तहसील नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) द्वारा जुर्माना राशि रूपये **2,00,000/–** अक्षरे **दो लाख रूपये मात्र** के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 13 GB 1823** जिसके इंजन नंबर **TNL4M80789** चेचीस नंबर **MA1ZN2TNKM5A11377** को रूपये 07,00,000/– अक्षरे सात लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तो पर सुिपर्दगी में दिये जाने का आदेश जाता है। संबधित प्रार्थी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर संबंधित प्रकरण प्रार्थना–पत्र 031/2024(रे0वि0) अनवानी विक्रम बनाम सरकार में वाहन सिपुर्द किये जाने बाबत् तहरीर जारी हों। संबंधित प्रार्थी द्वारा अदम अदायगी जुर्माना राशि और अपेक्षित जमानतनामा व सिपुर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 13 GB 1823** जिसके इंजन नंबर **TNL4M80789** चेचीस नंबर **MA1ZN2TNKM5A11377** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़, जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.02.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official